


फर्द अहकाम
 गौरी बनाम ख्याली

नाम न्यायालय SDO पावरा

केस संख्या 414/2021 519

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष वि
13 ¹¹ / ₂₅		<p>पत्रावली पेशा व प्रमाण प्रमाणित (1) कोर्ट से कोई उपलब्ध नहीं। व्यापार्य समुदाय के जमान बाट-बाट जावाज लगावने के बाद भी वादीपक्ष की कोर्ट से कोई उपलब्ध नहीं होने के कारण वादीपक्ष का वादपत्र अदम्य हाजरी एवं अदम्य फौरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फौरी सुमार कोर्ट दर्ज नम्बर से कम ही बाद दाखिल फहरा है।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी पावरा (कोटपूतली-बहरोड़) </p>	